मु.नं.–07 / 2020 GCMS ID-2020/00142 ता.रजु–09.12.2020

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

गोपाल कंसारा पुत्र स्व. श्री उदयलाल जी निवासी पोस्ट ऑफिस देवगढ़ मदारिया, जिला राजसमंद (राज.) पिन 313331 मो.नं. 9461346905 – अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–09.02.2021

1. प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता के कारण प्रकरण की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ है।
2. अपीलार्थी को दिनांक 23.12.2020, 30.12.2020, 13.01.2021, 19.01.2011, 25.01.2021, 02.02.2021, 09.02.2021 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया।
3. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर उपखण्ड कार्यालय सपोटरा के अधीन अपंजीकृत श्रेणी स्तर के धार्मिक स्थलों की सूची एवं महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग का आदेश क्रमांक प.6(17)प्रसु / अनु–3 / 2002 जयपुर दिनांक 07.12.2019 के संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठकों की सूचना, संधारित चल व अचल सम्पत्ति मंदिरों से संबंधित की सूची, BUKHA ग्राम में राधाकृष्ण मंदिर का पुजारी श्री बाबूलाल वैष्णव द्वारा मंदिर माफी की जमीन से संबंधित जमीन की नकल, चल व अचल सम्पत्ति की सूची, तय पूजा राशि की सूची, उक्त पत्र के बिन्दु संख्या 6 के तहत सपोटरा उपखण्ड कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा आवेदक को आंशिक सूचना उपलब्ध करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–सू.अ.अ. / 2020 / 8046 दिनांक 16.12.2020 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संदर्भ में उनके कार्यालय के पत्रांक 6419 दिनांक 19.11.2020 द्वारा अपीलार्थी को उनके कार्यालय के विनिश्चय से अवगत करवा दिया गया है कि बिन्दु संख्या 1 से 3 की सूचना संधारित नहीं है एवं बिन्दु संख्या 4 के क्रम में अतिक्रमण संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण सूचना शून्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
7. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को अपने विनिश्चय से अवगत करवा दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार का प्रतिकार पेश नहीं किया गया है और अपीलार्थी को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी अपीलार्थी द्वारा ना तो इस न्यायालय में अपना पक्ष रखा गया है और ना ही उपस्थित आया है। इससे यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी कार्यालय के विनिश्चय से संतुष्ट है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
8. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली